

(3)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज०)

अपील प्रकरण संख्या 12/93/2018

प्रवेश तिथि 12.06.2018

अपीलार्थी

श्री शुभराम पुत्र रामचन्द्र
ग्राम व पोस्ट-कारोडा, तहसील-बहरोड (अलवर)

बनाम

प्रत्यर्थी

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड
अधिकारी बहरोड (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005



दिनांक: 25.07.2018

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
अपीलार्थी ने आवेदन-पत्र दिनांक: 03.05.2018 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग से राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान : 2018 संबंधी 03 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी।
4. आवेदक को उपरोक्त प्रार्थना-पत्र दिनांक: 03.05.2018 में वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण प्रार्थना-पत्र दिनांक: 05.06.2018 के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा इस कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत को गई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांक: कोर्ट/ए.डी.एम.प्रथम/आर.टी.आई.अपील/2018/424-25 दिनांक: 12.06.18 के माध्यम तलब कर दिनांक: 20.06.18 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया एवं जवाब प्राप्त नहीं होने पर क्रमांक: 445-46 दिनांक: 20.06.18 एवं 566-67 दिनांक: 29.06.18 के माध्यम से स्मरण-पत्र जारी कर पुनः जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया एवं उक्त नोटिसों की प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई।
6. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से ना ही किसी प्रकार का जवाब नोटिस/प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ और ना ही अपील प्रकरण में सुनवाई हेतु कोई उपस्थित हुआ।
7. अपीलार्थी की ओर से जरिये ई-मेल दिनांक: 26.06.18, प्रकरण में वांछित सूचना नहीं मिलने बावत एवं अपील प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई में छूट प्रदान करने हेतु प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया।
8. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी पक्ष अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु सजग व गम्भीर नहीं है। प्रत्यर्थी द्वारा प्रकरण में आदिनांक तक कोई

- जवाब/प्रत्युत्तर/प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई है और प्रथम अपील में बार-बार जारी नोटिसों के बावजूद सुनवाई हेतु कोई उपस्थित भी नहीं हुआ। प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से आवेदक के प्रथम आवेदन-पत्र दिनांक: 03.05.18 के संबंध में अधिनियम की धारा 7(1) के तहत ना हो विनिर्दिष्ट समयावधि में सूचना उपलब्ध कराई गई और ना ही अधिनियम की धारा 7(8) व 8(1)कसे 8(1) ज उपलब्ध किन्हीं उपाबन्धों के तहत आवेदन अस्वीकृति/खारिज करने संबंधी जानकारी आवेदक को उपलब्ध कराई गई अर्थात् सूचना उपलब्ध नहीं कराने का कोई युक्तियुक्त कारण आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया गया है एवं प्रथम अपील में बार-बार जारी नोटिसों के बावजूद भी अपीलार्थी को सूचना प्रेषित नहीं की है जो अधिनियम की भावना, प्रावधान एवं उद्देश्यों के प्रतिकूल है एवं उक्त अधिनियम की पालना के प्रति प्रत्यर्थी की लापरवाही, अकर्मण्यता एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की स्थिति दर्शाता है।
9. अस्तु अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। उक्त अपील प्रकरण में बार-बार जारी नोटिसों के बावजूद प्रत्यर्थी की अनुपस्थिति व जवाब प्रेषित नहीं करने के लिए जिला कलक्टर महोदय, अलवर को पृथक से लिखा जवे।
10. प्रत्यर्थी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्णय की प्रति प्राप्ति के 10 दिवस में अपीलार्थी को प्रथम आवेदन-पत्र दिनांक: 03.05.18 में वांछित सूचना बिन्दुवार नैःशुल्क ही नियमानुसार अधिप्रमाणित कर उपलब्ध कराई जावे एवं अभी तक आवेदक को सूचना प्रेषित नहीं किये जाने के संबंध में अधीनस्थ कार्मिकों के विरुद्ध राजस्थान सेवा नियमों में वर्णित प्रक्रियाधीन कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
11. यहाँ यह भी वर्णन करना उचित होगा कि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र/दिशानिर्देशों के अनुसरण में अधिनियम के प्रावधानानुसार निर्धारित समयावधि में आवेदकों को सहज भाव से सूचना की अदायगी में अविलम्ब सूचना प्रेषित की जावे।
12. आदेश की प्रति उभय पक्ष के साथ-साथ जिला कलक्टर महोदय, अलवर को भी प्रेषित की जावे।
13. निर्णय घोषित ।



(राकेश कुमार)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)